

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 188 /21

उनवान

- 1-महेन्द्र कुमार पुत्र गुलाबचंद डोडिया(महाजन) निवासी शाहपुरा
- 2- राकेश कुमार पुत्र गुलाब चंद डोडिया(महाजन) निवासी शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- सुनील कुमार पुत्र शांतिलाल पाटनी निवासी तेली मोहल्ला शाहपुरा
- 2- रामबक्ष पिता कल्याण कुमावत निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- सोराम पिता कल्याण कुमावत निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
- 4- सुरेश पुत्र देवकिशन गुर्जर निवासी कलिंगरी गेट नहर के पास शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री त्रिलोक चन्द नौलखा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 18/11/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 553 रकबा 0.30 है, 534 रकबा 1.50 है 0 कुल किता 2 रकबा 1.80 हैक्टेयर की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम दौलतपुरा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा दौलतपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 1.80 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफ़सील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2021 को केम्प कोर्ट मुख्यालय ग्राम पंचायत दौलतपुरा पर सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड शाहपुरा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड शाहपुरा
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.